झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग
एच.ई.सी., सेक्टर–2, धुर्वा, राँची

अल्पकालीन निविदा सूचना

मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मतदाता सूची मुद्रण हेतु दर निर्धारण तथा मुद्रक चयन के लिए झारखण्ड राज्य स्थित एस.एस.आई. निबंधित, मान्यता प्राप्त अनुभवी एवं प्रतिष्ठित मुद्रकों से दिनांक–07/11/2015 के अप0 02.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सभी निविदाओं को उसी दिन अप0 03.00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निविदा की शर्तें निम्न प्रकार हैः–

1. निविदा के साथ निविदादाता को रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) मात्र का अप्रत्यर्पणीय बैंक ड्राफ्ट निविदा शुल्क के रूप में तथा रू0 200000/– (दो लाख रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के पदनाम से तथा राँची में भुगतेय हो, अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. निविदा दो लिफाफों में (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के रूप में) समर्पित की जाएगी तथा लिफाफे के उपर दर निर्धारण हेतु निविदा (तकनीकी बीड/वित्तीय बीड) अवश्य अंकित किया जाएगा। तकनीकी बीड में निविदा की शर्तों से संबंधित कागजात, अनुभव संबंधी प्रमाण, मुद्रण में व्यवहारार्थ कागज का नमूना, मुद्रित सैंपल तथा वित्तीय बीड में मतदाता सूची मुद्रण का दर अंकित होगा। दर में सभी प्रकार के कर शामिल होने चाहिए।

3. निविदादाता को निविदा के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र, अद्यतन आयकर/बिक्रीकर (VAT) का स्वच्छता (Clearance) प्रमाण पत्र (सत्यापित) समर्पित करना अनिवार्य होगा।

4. निविदादाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए तथा पिछले दो वर्षों का वार्षिक टर्नओवर औसतन 2.00 (दो) करोड़ रू0 होना चाहिए।

5. निविदादाता के पास निम्न सुविधाएं होनी चाहिएः– (क) खुद का मतदाता सूची मुद्रण हेतु प्रिटिंग सेट–अप। इनका स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदादाता के पास अल्प समय में उत्कृष्ट कोटि का मतदाता सूची मुद्रण कार्य करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इस संबंध में सुस्पष्ट एवं सत्यापित प्रमाण निविदादाता को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

7. क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर के अनुरूप अल्प सूचना पर स–समय मुद्रण कार्यों का निष्पादन निविदादाता को करना होगा। अनुमोदित विशिष्टियों/गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति स–समय नहीं करने पर निविदादाता के विरूद्ध अग्रधन की राशि जब्त करते हुए Blacklisting की कार्रवाई की जायेगी।

8. मुद्रित मतदाता सूची को जिला निर्वाचन कार्यालय, लोहरदगा में उपलब्ध कराने की जवाबदेही मुद्रक की होगी तथा इस हेतु उन्हें अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

9. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि वांछित सारी संरचनाएँ उनकी निजी हैं तथा उनका फर्म कभी भी केन्द्र अथवा राज्य सरकार में काली सूची में दर्ज नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का Cartel or Consortium मान्य नहीं होगा।

10. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(एल0 खियांग्ते)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रधान सचिव